

(Public Hearing Minutes)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 20.04.2023 का कार्यवृत्त

मैसर्स स्काई स्टोन (मैसनरी स्टोन) द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन खनन परियोजना, खनन क्षेत्रफल 1.5 हैक्टेयर प्लॉट संख्या 02/2021, उत्पादन क्षमता 228705 टन प्रति वर्ष खनन समूह मैसनरी स्टोन माईन कलस्टर, माईनिंग प्रोजेक्ट, कुल कलस्टर क्षेत्र 5.5 हैक्टेयर, कुल उत्पादन क्षमता 689240 टीपीए (रोम) निकटग्राम छकडा, तहसील वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 20.04.2023 का कार्यवाही विवरण

मैसर्स स्काई स्टोन (मैसनरी स्टोन) द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन खनन परियोजना, खनन क्षेत्रफल 1.5 हैक्टेयर प्लॉट संख्या 02/2021, उत्पादन क्षमता 228705 टन प्रति वर्ष (रोम) खनन समूह मैसनरी स्टोन माईन कलस्टर, माईनिंग प्रोजेक्ट, कुल कलस्टर क्षेत्र 5.5 हैक्टेयर, कुल उत्पादन क्षमता 689240 टीपीए (रोम) निकटग्राम छकडा, तहसील वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 (EIA,2006) के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक जनसुनवाई दिनांक 20.04.2023 को प्रातः 11.00 बजे राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत श्यारोली तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर में श्री नवरत्न कोली अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रतिनिधि) एवं श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई।

जनसुनवाई की सूचना 30 दिवस पूर्व गुलाबी हलचल सवाई माधोपुर पत्रिका, जिला सवाई माधोपुर एवं द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 16.03.2023 को पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकाशित की जा चुकी हैं।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., सवाई माधोपुर ने जनसुनवाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुये कहा कि मुख्य द्वार पर जनसुनवाई बैनर नहीं लगाया गया जिससे लोगों को जनसुनवाई स्थल की स्थिति खोजने में परेशानी का सामना करता पाया गया तत्पश्चात बताया कि यह जनसुनवाई मैसर्स स्काई स्टोन (मैसनरी स्टोन) द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन खनन परियोजना, खनन क्षेत्रफल 1.5 हैक्टेयर प्लॉट संख्या 02/2021, उत्पादन क्षमता 228705 टन प्रति वर्ष (रोम) खनन समूह मैसनरी स्टोन माईन कलस्टर, माईनिंग प्रोजेक्ट, कुल कलस्टर क्षेत्र 5.5 हैक्टेयर, कुल उत्पादन क्षमता 689240 टीपीए (रोम) निकटग्राम छकडा, तहसील वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आयोजित की जा रही हैं।

श्री दीपेन्द्र झरवाल ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, सरपंच ग्राम छकडा एवं पधारे हुए समस्त ग्रामवासियों का अभिनन्दन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा की जनसुनवाई में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जन चेतना का विकास होता है साथ ही परियोजना से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में आमजन की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते हैं। श्री झरवाल ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तिया सुझाव/राय दे सकते हैं। तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी की अनुमति से ईकाई के तकनीकी परामर्शकर्ता द्वारा खनन परियोजना, खनन कार्य से पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण, जल गुणवत्ता, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं उपाय, वृक्षारोपण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण रोकथाम के उपाय, परिवहन मार्ग मरम्मत, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया।

तत्पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी द्वारा पधारे गए लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में सुझाव/आपत्ति/राय बताने को कहा गया।

दीपेन्द्र
क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)

इसके पश्चात् सर्वप्रथम गोविन्द सिंह जाट निवासी, ग्राम पंचायत - श्यारोली द्वारा बताया गया कि ग्राम छकड़ा में खनन, केशर प्लांट से आने वाले वाहनो के आवगमन से रास्ते क्षतिग्रस्त हो गये हैं तथा गड्डे पड़ गये हैं जिससे धूल उड़ती है तथा उनकी फसलें खराब हो रही है, तथा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है। जवाब में ईकाई के तकनीकी परामर्शकर्ता द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना में रोड़ मरम्मत तथा पीने का पानी इत्यादि के लिये इकाई द्वारा लगभग 2.5 लाख रूपये प्रति वर्ष खर्च किया जायेगा और प्रशासन, ग्राम पंचायत के साथ समन्वय स्थापित कर रोड़ मरम्मत एवम् पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जायेगी।

श्री मानसिंह जाट ग्राम पंचायत श्यारोली - द्वारा बताया गया कि खनन पट्टे के चारों ओर तारबंदी की जाए, जिससे पशु व जानवर खनन क्षेत्र में ना आये एवं खनन पट्टा धारी द्वारा रोड़ का निर्माण किया जाए।

इसके बाद श्री हुकुम सिंह जाट, सरपंच निवासी ग्राम पंचायत श्यारोली द्वारा बताया गया कि वाहनों के आवगमन से धूल उड़ने कि समस्या पैदा होती है। उन्होने बताया कि ग्राम पंचायत बजट से रोड़ आवटन करवा लिया है। सरपंच महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से आग्रह किया की रास्ते का सीमा ज्ञान जल्दी ही करवाया जाये ताकि निर्माण कार्य शुरू किया जा सकें।

तत्पश्चात श्री विजय सिंह निवासी श्यारोली ने आग्रह किया की रास्ता का निर्माण किया जाये जिस पर इकाई प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया इसके बाद श्री. नवरत्न कोली अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रतिनिधि) द्वारा सुझाव देते हुये कहा गया कि ग्राम वासियों के पानी की समस्या निवारण के लिये टंकी का निर्माण ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित कर किया जाये, नलकूपों का निर्माण तथा रख रखाव किया जावे तथा स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जावे व वृक्षारोपण किया जावे स्कूलों में कम्प्यूटर कि व्यवस्था की जावे एवं समय-समय पर क्षमिकों व ग्राम वासियों का स्वास्थ्य निरीक्षण किया जावे।

श्री हुकुम सिंह जाट, सरपंच निवासी ग्राम पंचायत श्यारोली द्वारा कहा गया कि ग्राम श्यारोली व ग्राम छकड़ा में दो पानी पीने की टंकीयों (तीन-तीन फर्मी की) का निर्माण खनन पट्टा धारी द्वारा जल्द ही करवाया जावे ताकि गर्मीयों में पानी की आपूर्ति बाधित ना हो जवाब में ईकाई के तकनीकी परामर्शकर्ता द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना में इस हेतु इकाई द्वारा सामाजिक उत्थान के लिये लगभग 14 लाख रूपये प्रति वर्ष खर्च किया जायेगा और प्रशासन, ग्राम पंचायत के साथ समन्वय स्थापित कर पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जायेगी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रतिनिधि) द्वारा कहा गया कि समय-समय पर रास्तों की मरम्मत की जायें एवं समस्त सामाजिक कार्य ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित कर किए जावें।

श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., सवाई माधोपुर ने पूछा की खननसमूह में उपस्थित बाकी चार खनन पट्टोंधारीयों द्वारा क्या-क्या कार्य किये गये, कितना वृक्षारोपण किया गया, कितना मॉड्यूलर एस.टी.पी. लगवाये गये कितने मजदूरों को पीपीई कीट उपलब्ध करवाये गये, इन सबकी रिपोर्ट मय फोटोग्राफ प्रस्तुत की जावें जवाब में ईकाई के तकनीकी परामर्शकर्ता द्वारा कोई भी सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया गया।

श्री सलीम खान निवासी ग्राम पंचायत श्यारोली द्वारा बताया गया कि पानी की पाईप लाईन लीकेज है जिससे लोग दुषित पानी पी रहे है। इस पर संरपंच श्यारोली द्वारा बताया गया की नलकूपों का मरम्मत कार्य किया जा रहा है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रतिनिधि) द्वारा सुझाव दिया गया कि परियोजना में तलाकशुदा, परितायक्ता महिला आदि सक्षम महिलाओं को रोजगार भी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर (राज.)

17
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (सोमा०)

जाए। सामाजिक उन्नयन हेतु कार्य किये जावें। इस परियोजना से स्थानीय लोगो को लाभ मिलना चाहिए।

इसके बाद श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. सवाई माधोपुर ने सुझाव दिया कि आवेदक मैसर्स स्काई स्टोन द्वारा पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक दायित्व इत्यादि की पालना होनी चाहिये। स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिये। जवाब में आवेदक द्वारा यह आशवासन दिया गया कि हमारी ईकाई द्वारा उक्त बताये गये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से किये जायेंगे।

इसके बाद श्री. नवरत्न कोली अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रतिनिधि) द्वारा कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रावधानों के अनुसार ही कार्य किया जाना चाहिये और सामाजिक उत्तरदायित्व कोष से गोंवों के विकास कार्य किये जाने चाहिये। वृक्षारोपण, श्रमिक कल्याण के कार्य किये जाने चाहिये।

इसके पश्चात श्री झरवाल द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी एवं पधारे सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देकर जनसुनवाई समाप्त की गई।

दीपेन्द्र

(दीपेन्द्र झरवाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., सवाई माधोपुर

म
श्री. नवरत्न कोली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
सवाई माधोपुर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों, ग्रामवासी/जनप्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र
 मैसर्स स्काई स्टोन (मेसनरी स्टोन) माईनिंग लीज क्षेत्रफल-1.5 हैक्टेयर, प्लॉट नं. 02/2021,
 उत्पादन क्षमता- 228705 टी.पी.ए. (रोम) निकट ग्राम छकडा, तहसील-वजीरपुर, जिला-सवाई
 माधोपुर (राजस्थान) में स्थित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 20.04.2023 को
 आयोजित जनसुनवाई की बैठक।

स्थान : जनसुनवाई स्थल ग्राम पंचायत- श्यारोली स्थित " राजीव गांधी सेवा केन्द्र " तहसील
 वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

दिनांक : 20.04.2023

समय : प्रातः 11.00 बजे

उपस्थिति पत्र

क्र.स.	नाम	कार्यालय/ग्राम	हस्ताक्षर
1.	Nav Ratan Koli RAS	ADM. Ggc (Rep. of Distt. Collector, SWM)	
2.	Deependra Tharwal	R.O. RSPB Rhem	
3.	Purwa	Udaipur	
4.	Kaynat Azem	CRIPL Udaipur	
5.	Sayam Bhadury	Udaipur	
6.	Mansingh Meena	ADM office Ggc	
7.	Amrit Chaudhary	Villagers Udaipur	
8.	रामेश्वर सिंह (ग्राम)	शारोली	
9.	रामेश्वर सिंह (A.S.)	शारोली	
10.	शारोली	शारोली	
11.	शारोली	शारोली	
12.	Devesh	Udaipur	
13.	शारोली	शारोली	

14.	विजयसिंह जाट	श्मशौली	विजयसिंह
15.	संयुक्त कुमार उडा (मांमि विक्रम अधिकारी)	श्मशौली	मंमि
16.	शाक्तिमान जाख	शेखपुर	शाक्तिमान जाख
17.	जानक सिंह पोखरान	थली	
18.	रमू कुमाल मीना	स. माधोपुर	
19.	हीरामाया	इकरोडा	हीरामाया
20.	दीवानासिंह जाट	बजीरपुर	दीवानासिंह
21.	मानासिंह जाट	श्मशौली	मानासिंह
22.	Kuldeep meena	(JEE, RSPCB Ro. SWR)	Kdm,
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			

पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई

छकरा मेंसेनरी स्टोन माईन कलस्टर प्रोजेक्ट निकट ग्राम छकरा, तहसील वजीरपुर, जिला सवाईमाधोपुर (राजस्थान)
में निम्नलिखित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई

परियोजना प्रस्तावक का नाम	प्लॉट /खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल	खसरा संख्या	प्रस्तावित उत्पादन क्षमता
मैसर्स स्काई स्टोन	2/2021	1.50	346	228705

कलस्टर में स्वीकृत अन्य खनन पट्टे का विवरण निम्नानुसार हैं:-

परियोजना का नाम	एम एल संख्या एवं प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	खसरा संख्या	उत्पादन क्षमता (टन प्रति वर्ष)
श्री सर्वेश कुमार सैनी	01/2018	1.00	346	90000
श्री दिलीप मीणा	02/2018	1.00	346	130000
श्री प्रेम प्रकाश मीणा	03	1.00		



